

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमदेइनिशियल रेगसाल vs इरिक्श वगैर 79	नम्बर व अहकामज क तामीलमेंज
13/2/19	कहीसे के हाथ न्यायिक कार्य लयगत के काले पुनर्गुला दि 0 13/2/19 को फेशर्दा ✓	
13/3/19	कहीसे के हाथ न्यायिक कार्य लयगत के काले पुनर्गुला दि 0 13/2/19 को फेशर्दा ✓	
27/3/19	कहीसे के हाथ न्यायिक कार्य लयगत के काले पुनर्गुला दि 0 13/2/19 को फेशर्दा ✓	

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
03/17	अस्थायी निषेधाज्ञा	12.01.17	27.03.19

रंगलाल पुत्र देवपाल जाति मीना निवासी कीरतपुरा (डूडयापुरा) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-प्रार्थी

बनाम

1. हरकेश पुत्र शिवलाल।
2. लोहरे पुत्र शिवलाल।
3. सूका पुत्र कल्ला।
4. नाथ्या पुत्र रामसूखा।
5. हंसू उर्फ हंसराज पुत्र नाथ्या।
6. श्रीमोहन पुत्र केशरिया।
7. हल्के पुत्र मांग्या। समस्त जातियान मीना निवासीयान जोड़ी (गज्जूपुरा) तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
8. रामजीलाल पुत्र मंगल जाति बैरवा निवासी जोड़ी (गज्जूपुरा) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित:- श्री नेमीचन्द गर्ग वकील प्रार्थी।  
श्री शेरसिंह वकील अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने दाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम कीरतपुरा तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 356 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 357 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें दीगर किसी का कोई दास्ता नहीं है और प्रार्थी ही उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण सहजोर और लडाकू किस्म के आदमी है और लट्ट के बल पर प्रार्थी को उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है दिनांक 13.12.16 को जब प्रार्थी अपनी फसल की रखवाली कर रहा था तो अप्रार्थीगण एक राय होकर आ गये और उन्होंने एलानिया प्रार्थी को यह धमकी दी कि हमारी लाठी में दम है और हम तुम्हे उक्त आराजीयात से बेदखल करके रहने। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।


प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीयान ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं निराधार है क्योंकि प्रार्थी ने विवादित आराजीयात में कमी भी सीमाज्ञान नहीं करवाया था ना ही प्रार्थी ने विवादित आराजीयात में फसल काश्त की थी प्रार्थी का उक्त जमीन पर कब्जा भी नहीं रहा है। प्रार्थी स्वयं ही पैसा वाला, राजनैतिक,

(रामती शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सपोटरा जिला करौली

लड़ाकू व्यक्ति है जो अप्रार्थीगण को परेशान करता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

वहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी संबत् 2069-72 ग्राम कीरतपुरा के मुताबिक प्रार्थी विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है, जिससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सावित है। अप्रार्थीगण का यह कथन कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजी का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है यह बात जमाबंदी संबत् 2069-72 ग्राम कीरतपुरा से स्पष्ट है। अप्रार्थीगण ने विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह सावित हो कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं रहा हो। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में सावित है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात ग्राम कीरतपुरा तहसील सपोटरा खसरा नं0 356 रकवा 01 बीघा 02 विस्वा, खसरा नं0 358 रकवा 06 बीघा 04 विस्वा के मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

  
(तारामती वैष्णव आरएएस)  
उपखण्ड अधिकारी  
सपोटरा जिला करौली